बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
संकल्प

पटना-15, दिनांक 28.7.23

विषयः— **राज्य सरकार में कार्यरत आयोगों यथा- बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार राज्य महिला आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सदस्यगण का वेतन क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण के समान करने की स्वीकृति के संबंध में।**

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आयोग/बोर्ड का गठन किया गया है। इन आयोगों/बोर्डों के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/सदस्यगण के वेतन में भिन्नता है। इन आयोगों/बोर्डों के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/सदस्यगण के वेतन में समानता के लिए अनुरोध प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं।

2. राज्य सरकार द्वारा गठित कतिपय आयोगों यथा पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, राज्य महादलित आयोग, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सदस्यगण की सेवा शर्त्तों के निर्धारण से संबंधित संकल्प में इनका वेतन क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन के समान होने का प्रावधान किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन **"बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्त्तें) विनियम, 1960"** से विनियमित होता है।

3. राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य आयोगों/बोर्डों यथा-बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार राज्य महिला आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सदस्यगण का वेतन बिहार लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण के वेतन के समान करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. अतः दिनांक 25.07.2023 को राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-35 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में निर्णय लिया गया है कि :—

(क) राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य आयोगों/बोर्डों यथा-बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार राज्य महिला आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सदस्यगण का वेतन बिहार लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण के वेतन के समान किया जाय। यह पदेन सदस्यों (Ex officio Members) पर लागू नहीं होगा।

(ख) किसी अन्य आयोग/बोर्ड से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस आयोग/बोर्ड के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/सदस्यगण के लिए समरूप व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्णय राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिया जायेगा।

(ग) उक्त निर्णय के फलस्वरूप उक्त आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सदस्यगण के वेतन के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा निर्गत प्रावधान इस हद तक अवक्रमित समझा जायेगा।

(घ) यदि इन आयोगों/बोर्ड के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सदस्यगण के वेतन के संबंध में किसी प्रकार की कोई विसंगति होती है तो इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण निर्गत किया जायेगा।

(ड़) इन आयोगों के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण में से जो राज्य सरकार के किसी पद पर अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी स्वायत संस्थान के किसी पद पर कार्यरत हो अथवा अन्य स्रोतों से वेतन प्राप्त कर रहे हों, ऐसी स्थिति में उन्हें यह विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होगी कि वे अपना वेतन संबंधित आयोग से प्राप्त करेंगे अथवा अपने पूर्व पदस्थापन स्थान से प्राप्त करेंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार बिहार/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/शिक्षा विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ भेजी जाय।

(मो. सोहैल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–21/ आयोग-03/2023 सा.प्र. 14435 /पटना–15, दिनांक 28.7.23

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, (ई-गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–21/आयोग-03/2023 सा.प्र. 14435 /पटना–15, दिनांक 28.7.23

प्रतिलिपिः– महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।